

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक **B/4409** / चार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक **31/8**/2019

म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3(ए)2018/21-ब(एक)दिनांक 01.05.2019 तथा उच्च न्यायालय आदेश क्रमांक 556/गोपनीय/2019/दो-2-1/2019(भाग-बी) दिनांक 08 मई, 2019 के अंतर्गत श्री आलोक कुमार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये जाने और उनके द्वारा दिनांक 21.05.2019 को दोपहर पूर्व को कार्यभार ग्रहण किये जाने के फलस्वरूप उच्च न्यायिक सेवा के एंड्री वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070/- में उनके वेतन का निर्धारण दिनांक 21.05.2019 से निम्नानुसार किया जाता है :-

वेतन निर्धारण

51550.00

देय दिनांक

21.05.2019

sdf
(अजय पवार)
रजिस्ट्रार(एम)

पृष्ठांकन क्रमांक **B 14410** / चार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक **31/08**/2019

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट/मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री आलोक कुमार, अपर जिला न्यायाधीश, मुरैना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2018 दिनांक 01.03.2018 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

A. S. W. R.
रजिस्ट्रार(एम)
30-8-19